न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 409/23 (धारा 75 भू–राज0अधि01956) (RCMS No.2023/437)
आम गुर्जर समाज ग्राम सांकडा जरिये कोरया पुत्र श्री हाबूडया जाति गुर्जर निवासी सांकडा तहसील मलारनाडूंगर जिला सवाईमाधोपुर।

.....अपीलान्टस

बनाम

1. जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर।
2. तहसीलदार मलारनाडूंगर जिला सवाईमाधोपुर।
3. वनसंरक्षक बाघ परियोजना रणथम्भौर सवाई माधोपुर।

..... रैस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर दिनांक 7.11.2012 व सिलसिले राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के अंतर्गत वन विभाग के नाम आरक्षित किये जाने।

उपस्थितिः–

श्री रमनकृष्ण सोलंकी वकील अपीलान्ट।

निर्णय

दिनांक :– 27.02.2024

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 07.11.2012 सिलसिले राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के अंतर्गत वन विभाग के नाम आरक्षित किये जाने के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के पत्रांक प.12 ( ) भूमि आरक्षण/राजस्व/8045–55 दिनांक 07.11.2012 के द्वारा तहसीलदार मलारनाडूंगर को ग्राम सांकडा में खसरा नम्बर किता–72 रकबा 31.93 हैक्टैयर भूमि सिवायचक से वन विभाग (बाघ परियोजना सवाई माधोपुर) के नाम आरक्षित किये जाने के आदेश प्राप्त हुये। तहसीलदार मलारनाडूंगर के द्वारा वांछित प्रस्ताव जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर को भिजवाये गये। तदोपरान्त प्रकरण में बाद कार्यवाही जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश कमांक प.12 ( ) भूमि आरक्षण/राजस्व/12/ 8045–55 दिनांक 07.11.2012 से आदेश पारित किये गये कि तहसीलदार मलारनाडूंगर के प्रस्तावानुसार तहसील मलारनाडूंगर में स्थित ग्राम सांकडा में स्थित भूमि कुल किता–72 कुल रकबा 31.93 है0 जिसका विवरण खसरा नम्बरों का अपीलाधीन आदेश में दिया गया है। अपीलाधीन आदेश में अंकित भूमि को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के अंतर्गत वन विभाग (बाघ परियोजना रणथम्भौर सवाईमाधोपुर) के नाम आरक्षित की गई, साथ ही आरक्षित भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार का होगा। आरक्षित भूमि का उपयोग राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति लिये

27.2.2024
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

बिना अन्य कार्य में आरक्षण नहीं किया जावेगा की शर्तों एवं निबन्धन के साथ अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.11.2012 पारित किया गया। जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के इस आदेश दिनांक 07.11.2012 के खिलाफ अपीलान्टस द्वारा यह अपील अदालत हाजा में पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। नियत दिनांक को रैस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नही। अपीलान्ट के अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय विधिविरूद्ध व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। उक्त प्रकरण में तहसीलदार मलारनाडूंगर के प्रस्ताव/आवेदन दिनांक निल भू राजस्व अधिनियम की धारा 102 ए के तहत ग्राम पंचायतों को आबादी विस्तार हेतु भूमि का आरक्षण में प्रार्थी ग्राम पंचायत सांकडा को आवेदक के रूप में दर्शित करते हुये 31.93 हैक्टेयर कुल खसरा नम्बर 72 को आरक्षित किये जाने का प्रस्तुत किया गया। इस प्रस्ताव के आधार पर जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.11.2012 को ग्राम सांकडा में स्थित भूमि कुल किता 72 कुल रकबा 31.93 है0 को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के अनुसार वन विभाग (बाध परियोजना सवाईमाधोपुर) के नाम आरक्षित किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं, जो कि नियम विरूद्ध है, क्योंकि अपीलान्टस ग्राम पचांयत सांकडा के गाम सांकडा के निवासी है जो पूर्वजों के समय से ही ग्राम सांकडा में निवास कर रहे हैं। जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 07.11.2012 में सेट अपार्ट की गई भूमि सार्वजनिक रास्ते, शमशान घाट, मोक्षधाम, एवं अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग में ली जा रही है। जिससे आम जनता के सामान्य अधिकार प्रभावित हो रहे है। चूंकि वन विभाग जिला कलक्टर के उक्त आदेश की आड में सार्वजनिक उपयोग की भूमि आम रास्ते एवं शमशान घाट, मोक्षधाम, की भूमि को कब्जे में लेकर आम जन के अधिकारों को प्रभावित कर रहे है। वन विभाग के अधिकारी इस आदेश की आड में खातेदारी भूमि, सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर कब्जा करने को आमादा है। जिसका इल्म होने पर जिला कलक्टर कार्यालय को उक्त आलौच्य आदेश की जानकारी हुई तो प्रमाणित प्रति प्राप्त कर आवश्यक दस्तावेज एकत्रित कर अदालत हाजा में अपील पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय/जिला कलक्टर ने आदेश जारी किये जाने से पूर्व भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों का अवलोकन नहीं किया। नाही तहसीलदार मलारनाडूंगर से प्राप्त प्रस्ताव का भलीभांति अवलोकन किया। तहसीलदार मलारनाडूंगर की ओर से जिला कलक्टर को भिजवाए गए प्रस्ताव/आवेदन में आवेदक का नाम ग्राम पंचायत सांकडा अंकित किया गया है, जबकि ग्राम पंचायत सांकडा की ओर से इस तरह का कोई प्रस्ताव/आवेदन प्रस्तुत नहीं किया था। अपीलाधीन आदेश द्वारा जिला कलक्टर द्वारा वन विभाग रणथम्भौर बाघ परियोजना के पक्ष में भूमि आरक्षित किये जाने का उल्लेख किया गया है, परन्तु वन विभाग बाघ परियोजना की ओर से भूमि आरक्षित करने के संबंध

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

में किसी तरह का कोई आवेदन या प्रस्ताव जिला कलक्टर को प्रस्तुत नहीं किया गया। किसी भी ग्राम पंचायत क्षेत्र की सीमाओं में भूमि आवंटन/आरक्षण किये जाने से पूर्व संबधित ग्राम पंचायत की स्वीकृति/प्रस्ताव अपेक्षित है, परन्तु जिला कलक्टर ने आदेश पारित करने से पूर्व विधिक अपेक्षाओं को दरकिनार करते हुये नियम विरूद्ध आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है। भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत जिला कलक्टर को आरक्षण/आवंटन के सीमित अधिकार दिये गये है जबकि चुनौतिग्रस्त आदेशों में जिला कलक्टर द्वारा अपनी सीमा से बाहर जाकर राज्य सरकार की सीमाओं में अतिक्रमण करते हुये विधि विरूद्ध आदेश पारित किया जो प्रथम दृष्ट्या ही निरस्त किये जाने योग्य है। तहसीलदार मलारनाडूंगर के प्रस्ताव/आवेदन पत्र में खसरा नम्बर 567 रकबा 0.70 है0 पर अतिक्रमण होना अंकित किया है, परन्तु उस संबध में आवंटन से पूर्व भूमि को खाली किया जाना /खाली करवाया जाना आवश्यक विधिक प्रावधान है चूंकि खाली भूमि को ही आवंटन/आरक्षण किये जाने का प्रावधान है। इसके बाबजूद भी अतिक्रमित भूमि को आरक्षित किये जाने का आदेश जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा दिया गया है।

वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 में प्रावधान है कि राज्य सरकार के साधारण आदेशों के अध्याधीन कलक्टर किसी भी विशेष प्रयोजन के लिये यथा पशुओं के मुख्य चारागाह के लिये, वनारक्षण के लिये आबादी के विकास के लिये या किसी भी अन्य लोक या नगर पालिका प्रयोजन के लिये भूमि अलग रख सकेगा और ऐसी भूमि कलक्टर की पूर्व मंजूरी के बिना ऐसे प्रयोजन से अन्यथा किसी अन्य उपयोग में नहीं लायी जावेगी। इस धारा से स्पष्ट है कि कलक्टर को जनहित में विशेष प्रयोजनार्थ भूमि को आरक्षित करने के अधिकार प्राप्त हैं, परन्तु चुनौतीग्रस्त आदेश में कलक्टर द्वारा धारा 92 में दिये गये सीमित अधिकारों के विरूद्ध जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो कि निरस्तनीय है, क्योंकि उक्त आदेश में राज्य सरकार की ओर से जारी साधारण या विशेष आदेश का कोई उल्लेख नहीं है। इससे स्पष्ट है कि उक्त आदेश क्षेत्राधिकारिता के बाहर जाकर पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की अनियमितता/त्रुटी (अप्रेन्ट ऑन द फैस आफ रिकार्ड) स्पष्ट झलकती है, क्योंकि सेटअपार्ट आदेश एवं आवंटन आदेश भिन्न–भिन्न है एवं उनके लिये पृथक–पृथक नियम बने हुये है। सेट–अपार्ट के आदेश में केवल भूमि को सुरक्षित रखना है अर्थात ऐसी भूमि को कलैक्टर की बिना मंजूरी के उपयोग में नहीं लाया जा सकता। इसके अलावा सेटअपार्ट की गई उपरोक्त भूमि वन विभाग की परिसीमा से लगभग 60 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है। ऐसी स्थिति में सेटअपार्ट का आदेश ही औचित्यहीन हो जाता है। इस कारण उपरोक्त भूमि का वन विभाग के लिए कोई उपयोग नहीं है। इसके अलावा जिला कलक्टर की ओर से पारित आदेश सार्वजनिक हितों के विपरीत होने के कारण भी निरस्तनीय है। जिला कलक्टर की ओर से पारित अपीलाधीन आदेश 07.11.2012 में वर्णित खसरा नंबर 1761, 1769/2257, 1739, 1949/2506, 1941, 1946 ग्राम सांकडा से ग्राम हरिरामपुरा तक का आम रास्ता बना हुआ है। जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा नरेगा

न्यायालय संभागीय आयुक्त ★ भरतपुर संभाग, भरतपुर ★

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

योजना के तहत 14.73 लाख का कार्य पूरा किया जा चुका है, साथ ही खसरा नम्बर 1367, 1368 भैरूजी का स्थान एवं सार्वजनिक तलाई, जानवरों के पीने का पानी व आवागमन का रास्ता आम रास्ते से जुडा हुआ है। वकील अपीलान्ट ने इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सवाई माधोपुर को विकास अधिकारी पंचायत समिति मलारनाडूंगर की ओर से भिजवाये गये पत्र दिनांक 20.12.2022, 24.03.2022, मौका रिपोर्ट दिनांक 23.01.2023, 10.11.2022 व रिपोर्ट दिनांक 05.05.2020 में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि उक्त सभी पत्रों व रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि जो भूमि वन विभाग हेतु आरक्षित की गई है। वह भूमि अपीलान्टस व अन्य ग्रामवासियों के सार्वजनिक उपयोग हेतु काम में ली जा रही है। इस कारण अपीलाधीन आदेश प्रथम दृष्टया ही अप्राकृतिक एवं सार्वजनिक हित के विपरीत होने से सार्वजनिक उद्देश्य को समाप्त करने की स्थिति के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 1923, 1924, 1921/2579 रकबा 0.25 है0 1927 रकबा 0.45 हैक्टेयर इत्यादि लगभग 40 वर्षों से भूमिहीन काश्तकरों के कब्जे काश्त में है जिससे यह लोग अपना जीवन यापन कर रहे है। जिसमें पुख्ता मकान ट्यूबबैल लगा हुआ है। इनमें रिहायश होने के तथ्यों को सेट अपार्ट होने से पूर्व नजर–अंदाज किया गया है। सार्वजनिक उपयोग व अपीलान्टस के वर्षों पुरानी रिहायश की भूमि को अपीलाधीन आदेश के द्वारा आरक्षित किये जाने के कारण अपीलान्टस के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस कारण उपरोक्त आदेश से अपीलान्टस प्रभावित होने के कारण अदालत हाजा में अपील पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 14.02.2020 को होने पर नकल प्राप्त कर जानकारी की तिथि से अदालत हाजा में अपील पेश की गई है। अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किये जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश किया गया है। जिसका रैस्पोडेन्ट की ओर से कोई जवाब या काउन्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.11.2012 निरस्त किया जावे अथवा प्रभावित खसरा नंबर को सेटअपार्ट से मुक्त किये जाने के आदेश दिए जावें।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट की ओर से अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.11.2012 के विरूद्ध अदालत हाजा में दिनांक 27.02.2020 को मियाद बाहर अपील पेश किये जाने पर मियाद संबंधी बिन्दु रिजर्व रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण पर विचार किये जाने से पूर्व मियाद संबंधी बिन्दु को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट की ओर से अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किये जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र मीमो आफ अपील के साथ पेश किया है। जिसमें अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 14.02.2020 को होने व अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त होने के बाद अन्दर मियाद अपील पेश किये जाने का उल्लेख किया गया है। इसके समर्थन में शपथ पत्र भी पेश किया गया

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

27.2.2025
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

है। रैस्पोडेन्ट की ओर से न तो अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र का कोई जवाब पेश किया है और न ही किसी प्रकार का कोई काउन्टर शपथ पत्र ही पेश किया। जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अपीलान्ट को प्रार्थना पत्र में वर्णित दिनांक के पूर्व से अपीलाधीन निर्णय के बारे में जानकारी रही हो। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर अविश्वास करने का कोई कारण नजर नहीं आता है। इसके अलावा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व माननीय राजस्व मण्डल द्वारा कई नजीरों में इस तरह के सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं कि अपीलीय न्यायालय को मियाद संबंधी बिन्दु पर अपील को खारिज किये जाने से बचना चाहिए तथा तकनीकी बिन्दु पर अपील को खारिज नहीं करना चाहिए। इस आधार पर भी अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र के आधार पर अपील को अन्दर मियाद माना जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण का प्रश्न है तो तहसीलदार मलारनाडूंगर की ओर से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 102 ए के तहत 72 खसरा नम्बरान की 31.93 है0 भूमि आरक्षित किये जाने हेतु जिला कलक्टर सवाई माधोपुर को प्रस्ताव प्रेषित किया गया। इस प्रस्ताव के साथ 72 खसरा नम्बरान की सूची, नजरी नक्शा, जमाबन्दी, खसरा गिरदावरी आदि प्रस्तुत की गई। तहसीलदार मलारनाडूंगर से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश क्रमांक प.12( )भूमि आरक्षण/राजस्व /12/8045–55 दिनांक 07.11.2012 के द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के अन्तर्गत वन विभाग (बाघ परियोजना रणथम्भौर सवाई माधोपुर) के नाम आरक्षित किये जाने का आदेश पारित किया है। उक्त आदेश में किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नजर नहीं आती है, क्योंकि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत राज्य सरकार के सामान्य आदेश के अधीन कलक्टर किसी विशेष प्रयोजन के लिए जैसे पशुओं के निःशुल्क चारागाह के लिए, वन आरक्षण हेतु, आबादी के विकास हेतु या अन्य सार्वजनिक या नगर पालिका प्रयोजन के लिए भूमि अलग रख सकेगा और ऐसी भूमि ऐसे प्रयोजनों के अतिरिक्त बिना कलक्टर की अनुमति के अन्य प्रयोग में नहीं ली जावेगी। उपरोक्त प्रकरण में जिला कलक्टर की ओर से जो भी भूमि आरक्षित की गई है। उसकी किस्म सिवायचक बारानी है। ऐसी भूमि को आरक्षित किये जाने के लिए ग्राम पंचायत से सहमति लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां तक वकील अपीलान्ट का यह तर्क कि आरक्षित भूमि में से खसरा नंबर 567 पर अतिक्रमण होने या अन्य भूमि सार्वजनिक उपयोग में आने के कारण जिला कलक्टर द्वारा सेट अपार्ट नहीं की जा सकती है तो उक्त तर्क से हम इसलिए सहमत नहीं है, क्योंकि भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत जिला कलक्टर को विशेष प्रयोजन के लिए भूमि आरक्षित रखे जाने का आदेश दिये जाने का अधिकार दिया हुआ है। इसी प्रकार बहस के दौरान वर्णित अन्य तथ्य की वन विभाग के

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

लिए आरक्षित की गई भूमि में ग्राम पंचायत की ओर से मनरेगा योजना के तहत कार्य करवाया गया है या सार्वजनिक रास्ता है तो इसके लिए ग्राम पंचायत अथवा अपीलान्ट जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के समक्ष उक्त भूमि को सेटअपार्ट से अलग रखे जाने हेतु पृथक से आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं, परन्तु अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.11.2012 जो कि तहसीलदार मलारनाडूंगर से प्राप्त प्रस्ताव व चैकलिस्ट के आधार पर जारी किया गया है। इसके अलावा भी ग्राम पंचायत द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्ति जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा सेट अपार्ट की गई भूमि के संबंध में किसी भी न्यायालय में आदिनांक तक नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश जारी होने के लगभग 11 वर्ष बाद हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.11.2012 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 27.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर